



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 07.04.2021

वामा सारथी, उ०प्र० पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में
"निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर" का आयोजन



आज दिनांक 07.04.2021 को वामा सारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन एवं जनपद अध्यक्षा वामा सारथी, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, जनपद खीरी, श्रीमती अंशू (पत्नी पुलिस अधीक्षक खीरी) की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में "निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर" का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में दंत रोग विशेषज्ञ एवं उनकी टीम द्वारा पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारीजन का निःशुल्क दंत रोग परीक्षण किया गया। शिविर के दौरान डॉ० मीमेन्दू गौतम, डेंटल सर्जन; डॉ० हर्षित मेहरोत्रा, डेंटल सर्जन; डॉ० आलोक अवस्थी, डेंटल हाईजीनिस्ट; डॉ० अविनाश वर्मा एवं उनकी सहयोगी दंत चिकित्सक टीम द्वारा समस्त पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारीजन के दांत एवं दंत रोग संबंधी समस्याओं की जाँच की गई तथा जांच के आधार पर ज्ञात दंत विकारों के उपचार हेतु लाभप्रद परामर्श देकर आवश्यक दवाईयां भी उपलब्ध कराई गईं।

साथ ही दांतों को स्वस्थ रखने, मजबूत बनाने एवं किसी भी प्रकार के विकारों से दूर रखने हेतु विभिन्न सुझाव भी दिए गए जैसे नियमित रूप से ओरल हाईजीन का ख्याल रखने, दिन में दो बार ब्रश करने, खाने में बहुत अधिक मीठा का प्रयोग नहीं करने क्योंकि अत्यधिक मीठा दांतों के क्षय का कारण बन सकता है, दांतों के साथ-साथ नियमित रूप से जीभ की भी सफाई करने, यदि मसूड़ों में सूजन हो या खून आ जाए तो दंत विशेषज्ञ से उपचार कराने, वर्ष में कम से कम दो बार दांतों की जांच जरूर कराने आदि महत्वपूर्ण सुझाव देकर इनका पालन करने हेतु जागरूक किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सिसैया के 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया



दिनांक 05-04-2021 को ग्राम सिसैया बाजार में दो पक्षों में विवाद व मारपीट हो गई जिससे दोनों पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। शांति/कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 07-04-2021 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए 07 नफर अभियुक्तों 1- हुसैन खां पुत्र पलटू 2-महताब खान पुत्र नाजिम खान 3-याकूब अली पुत्र वारिस अली 4-नाजिम पुत्र वारिस अली 5-भग्गू खान पुत्र हेकर खान 6-तहीर खान पुत्र जुम्मन खान 7-हनीफ खां पुत्र दौड़े खान निवासीगण सिसैयाकला थाना धौरहरा जनपद खीरी को अंतर्गत धारा 151/107/116 द०प्र०सं गिरफ्तार कर न्यायालय उपजिलाधिकारी धौरहरा के समक्ष पेश किया गया जिन्हें उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला कारागार में निरुद्ध किया गया।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मौके पर करीब 1000 लीटर लहन नष्ट



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 07-04-2021 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए ग्राम रंजीतगंज से अवैध शराब का निष्कर्षण करते हुए अभियुक्त 1.गजेन्द्र पुत्र रोशनलाल निवासी रंजीतगंज थाना ईसानगर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया। साथ ही मौके पर ही करीब 1000 लीटर लहन भी नष्ट किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना ईसानगर पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.गजेन्द्र पुत्र रोशनलाल निवासी रंजीतगंज थाना ईसानगर जनपद खीरी

बरामदगी:-

30 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद।

मौके पर ही करीब 1000 लीटर लहन नष्ट

पुलिस टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी, थाना ईसानगर

2-उ0नि0 देशराज सिंह

3-हे0का0 दीपक सिंह

4-का0 जीतेन्द्र सिंह

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 07-04-2021 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए ग्राम लोधनपुरवा से अवैध शराब का निष्कर्षण करते हुए अभियुक्त 1.रमेश पुत्र छत्रपाल निवासी लोधनपुरवा मजरा भौआपुर थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना धौरहरा पर आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.रमेश पुत्र छत्रपाल निवासी लोधनपुरवा मजरा भौआपुर थाना धौरहरा खीरी

बरामदगी:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद।

पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० वेदपाल सिंह, थाना धौरहरा
- 2-हे०का० श्रवण कुमार
- 3-का० सत्येंद्र सिंह
- 4-का० विकल कुमार
- 5-का० मो० रिजवान

अंतिम विदाई



निरीक्षक श्री वहीद खान (पीएनओ- 002120065) पुत्र वल्दी खान नि0 ग्राम रूरा उचौलिया थाना पसगवां जनपद खीरी, जो मूलरूप से जनपद खीरी के निवासी थे तथा उनकी नियुक्ति डी०टी०यू०, जनपद संभल में थी। जो काफी समय से बीमार चल रहे थे तथा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

आज दिनांक 07.04.21 को निरीक्षक श्री वहीद खान का पार्थिव शरीर जनपद खीरी आया। पुलिस लाइन्स खीरी परिसर में प्रतिसार निरीक्षक खीरी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा मृतक निरीक्षक श्री वहीद खान के पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी तथा सलामी देकर ससम्मान अंतिम विदाई दी गई।

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 600 अदद अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद कर
अभियुक्त सुभाष वर्मा पुत्र झब्बू को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुभाष वर्मा पुत्र झब्बू निवासी कौरैया संजर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को 600 अवैध अल्प्राजोलम टैबलेट सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर एनडीपीएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया।

**थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त सलामत पुत्र शेर अली को अवैध
शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त सलामत पुत्र शेर अली निवासी चन्द्रपुरा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं० 327/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त गुड्डू पुत्र मोहन वर्मा को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त गुड्डू पुत्र मोहन वर्मा निवासी बनिकापुरवा थाना खीरी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना खीरी पर मु0अ0सं0 149/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

**थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त नफीस पुत्र बन्धा को अवैध शस्त्र सहित
गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त नफीस पुत्र बन्धा निवासी जगना थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 95/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

**थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त उत्तम पुत्र मनोहर लाल को अवैध चाकू सहित
गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपद स्तर पर चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त उत्तम पुत्र मनोहर लाल निवासी ग्राम झसिया थाना खीरी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना खीरी पर मु0अ0सं0 148/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना गोला पुलिस द्वारा अ०सं० 151/21 धारा 420 भादवि व 60/63 आबकारी अधि० में वारंटी अभियुक्त सुनील शर्मा पुत्र श्रीकृष्ण नि० कुम्हारनटोला थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अ०सं० 1056/17 धारा 128 सीआरपीसी में वारंटी अभियुक्त रामलोचन पुत्र गयाप्रसाद नि० मिश्रगांव थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना खीरी पुलिस द्वारा अ०सं० 332/03 धारा 307 भादवि० व 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त गुड्डू पुत्र मोहन वर्मा नि० वनिकापुरवा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फरधान पुलिस द्वारा धारा 107/116 सीआरपीसी में 03 नफर वारंटी अभियुक्तगण 1.जुबेर पुत्र शब्बीर अली 2. शोएब अली पुत्र शब्बीर अली 3. मोनू पुत्र शब्बीर अली नि०गण नरदवलपुरवा थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **130 लीटर अवैध कच्ची शराब, 06 अवैध शराब भट्टी** बरामद कर **06 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना सिंगाही	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना ईसानगर	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना धौरहरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना पलिया	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना फूलबेहड	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	130 लीटर	06 अभियुक्त गिरफ्तार